राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1746 / SEIAA/2022
Date: 29-9-22

प्रति,

मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट,
प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी
श्री अशोक सिंह यादव,
निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र. 8370/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव, निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,50,005 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.320 हेक्टेयर, खसरा 13, ग्राम लखनपुरा, तहसली डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 749वी SEIAA बैठक दिनांक 23.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581 वी बैठक दिनांक 24.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला ग्वालियर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिला कलेक्टर, ग्वालियर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustonable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforecemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार प्रकरण को Delist किया जाये, परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को Relist करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होवें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण को Relist किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरंण हेतु उपस्थित होवें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1747 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 29-9-22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी